संख्या:पर.(ए.आर.)ई(5)-2/2006-भाग-2
हिमाचल प्रदेश सरकार,
प्रशासनिक सुधार संगठन ।

प्रेषक

प्रधान सचिव(प्र.सु.)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित,

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
   हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त उपायुक्त/मण्डल आयुक्त,
   हिमाचल प्रदेश ।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक,
   बोर्ड एवं निगम,
   हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त उप-कुलपति,
   विश्वविद्यालय, हि0प्र0 ।

दिनांक शिमला-2, 5 अगस्त, 2008

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदकों को वांछित एवं समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में अनुदेश ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रदेश में इस आशय से कार्यान्वित किया गया है कि प्रशासन में पारदर्शिता लाई जा सके तथा सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना भेजने वाले किसी भी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण जानकारी भेजना लोक प्राधिकरण के जन-सूचना अधिकारी का कर्तव्य है। परन्तु सरकार के ध्यान में आया है कि जन-सूचना अधिकारीयों द्वारा आवेदकों को अवांछित एवं मार्गभ्रष्ट करने वाली सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है ।

अत: आप से अनुरोध है कि आप कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निपटान के सम्बन्ध में निम्न-लिखित अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें:-

1. आवेदनकर्ताओं को सूचना उनके आवेदन पत्र के आधार तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही उपलब्ध करवाई जाए ।
2. जन-सूचना अधिकारीयों द्वारा आवेदनकर्ताओं के आवेदन लेने से इन्कार करें उन्हें अनावश्यक परेशान न किया जाए तथा आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार लिए जायें ।

3. आवेदन पत्र के आधार पर ही सूचना आवेदकों को उपलब्ध करवाई जाए । यदि वांछित सूचना एक पृष्ठ की हो तो उसे वहीं तक सीमित किया जाए तथा अनावश्यक सूचना की आपूर्ति न की जाए ताकि आवेदक पर अनावश्यक वित्तिय बोझ न पड़े ।
4. यदि कोई व्यक्ति अपील करता है तो अपील का निपटारा एक ही सुनवाई में कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में इस विभाग के पत्र संख्या:ए.ए.(ए.आर.(एफ)7)-2/98-भाग-I दिनांक 19.5.2008 द्वारा पहले भी अनुदेश जारी किए गए हैं जिनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए ।
5. आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचना हिन्दी भाषा में ही उपलब्ध करवाई जाए ।

आवेदकों को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु जन सूचना अधिकारी लोक प्राधिकरण के अन्यं अधिकारीयों का सहयोग प्राप्त कर सकता है । यदि कोई अधिकारी जिसका सहयोग जन-सूचना अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपेक्षित हो परन्तु यदि वह अधिकारी सहयोग करने से ईन्कार करता हो , उस स्थिति में उक्त अधिकारी ही जन सूचना अधिकारी समझा जाएगा एवं उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है अथवा राज्य सूचना आयोग उस पर शास्ति लगा सकता है ।

इन अनुदेशों की अनुपालना कड़ाई से की जाए ।

भवदीय,

उप-सचिव (पु०सु०)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।